

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(14)राज/वाद/20

जयपुर, दिनांक 31-3-2021

:: आदेश ::

श्री गोविन्द लाल चतुर्वेदी, अधिवक्ता की अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली के पद पर एवं श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता की लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली के पद पर विभागीय आदेश क्रमांक प.8(35) राज/वाद/19 दिनांक 09.07.19 के द्वारा की गई नियुक्ति निरस्त की जाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री गोविन्द लाल चतुर्वेदी को लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है तथा श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त राज्य हित में प्रसारित किये गये हैं।  
आज्ञा से

ह

(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
10. जिला कलक्टर, करौली।
11. कोषाधिकारी, करौली।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(हिमांकनी गौड़)  
21/3/21  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण